

अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

नरपत्तं पुज डीगडमल कुमति
ओसवाल सिवासी सिणधरी
तह. सिणधरी जि-
बलौतर)

बनाग

पदीप पंवार पुज मिश्रीभल
जाति रावणा राजपुत निवासी
सिणधरी तह. सिणधरी
जि- बलौतर)

मुकदमा संख्या 237/2025

तारीख हुकम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	--

08/10/25

यह वाद/आवेदन/अपील वादीक/प्रार्थीगण/अपीलांत की ओर से वकील श्री पापु राम बलौतर अन्तर्गत धारा 111.120 राजस्थान क्र. 21 अधिनियम 1908 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांत द्वारा प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस/सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांत वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांत को विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/उतरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की दस्ती दी जावे। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदाता की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 18/11/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

पुनः

पत्रावली दस्तावेज सीट प्रति 30.10.25

को प्रेषित

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

30.10.25

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी वकील उपस्थित।
पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि प्रस्तुत प्रकरण सीमाज्ञान की स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में पेश किया है, जो प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन बाद स्पष्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट के पुनः बरामद करवाये जाने के हको को सुरक्षित रखते हुए आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

